ance of the agencies nominated by the respective State Governments to handle donated maize. The allocated quantity of donated maize was lifted by State nominated agencies on the basis of their relative capacities. Commercial imported maize was not planned to be proportionately allocated on the basis of the size of poultry population in the different States.

सोयाबीन का उत्पादन

3320. **चौधरी हरि सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990–91 और 1991–92 के वर्षों के दौरान सोयाबीन का राज्यवार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) सोयाबीन की खेती के मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं ;

(ग) क्या सरकार सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का विचार रखती हैं,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ङ) सोयाबीन की प्रति एकड़ उपज को बढ़ा कर इसकी पैदावार को उन्नत देशों की पैदावार के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1990–91 और 1991–92 के दौरान सोयाबीन के राज्यवार उत्पादन को संलग्न विवरण में दिखाया गया है । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) सोयाबीन की खेती करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश जिसमें अधिकतम क्षेत्र आता है तथा उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात ।

(ग) 1992–93 के दौरान सोयाबीन के तहत आने वाले क्षेत्र में लगभग दो लाख हेक्टेअर की वृद्धि करने का कार्यक्रम है ।

(घ) सोयाबीन को "तिलहन उत्पादन कार्यक्रम" के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन के लिये सहायता देकर तथा बीजों के वितरण, पौध संरक्षक उपायों, छिड़कवकों, उन्नत उपस्करों, राइजोबियम कल्चर वितरण तथा अन्य मदों के माध्यम से सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है । सोयाबीन कार्यक्रम के अंतर्गत 14 राज्य शामिल किए गये हैं ।

(ङ) सोयाबीन के उत्पादन को विकसित देशों के बराबर ले आने के लिये उन्नत किस्मों के विकास एवं वितरण, राइजोबियम खेती को लोकप्रिय बनाने और बेहतर प्रक्रियाओं के पैकेज जैसे प्रमुख प्रयासों के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

विवरण

1990–91 और 1991–92 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन

(उत्पादन '000 मी० टन में')

राज्य	1990–91	1991–92
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	0.4	1.0
अरूणाचल प्रदेश	2.6	—
गुजरात	14.7	19.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	—
कर्नाटक	4.9	11.0
मध्य प्रदेश	2003.0	1887.0
महाराष्ट्र	189.3	133.0
मेघालय	0.9	—
नागालैंड	2.1	—
उड़ीसा	0.8	—
राजस्थान	160.4	149.0

1	2	3
सिक्किम	7.5	—
उत्तर प्रदेश	31.8	24.0
पश्चिम बंगाल	0.3	—
		2224.0
*अन्य	—	10.0
योग :	2418.9	2234.0

*छोटे उत्पादक राज्यों के 1991–92 के संभावित उत्पादन को "अन्य" शीर्ष के अंतर्गत संकलित किया गया है ।

खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट

3321. **चौधरी हरि सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के प्रति क्विंटल मूल्य में गत तीन महीनों के दौरान कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि उक्त वस्तुओं के लिए मूल्य में कमी होने के कारण कृषकों को हानि न हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि विगत 3 महीनों के दौरान धान, ज्वार, बाजरा तथा रागी के मूल्यों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है । इन जिन्सों का खुला बाजार मूल्य सरकार द्वारा 1991–92 मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक है । कृषि जिन्सों के लिए बाजार समर्थन प्रचालन को अपनाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादकों को इस बात की गारण्टी देता है कि यदि अत्यधिक उत्पादन हो या अन्य किन्हीं कारणों के परिणाम-स्वरूप बाजार में होने वाली अतिशयता की दशा में भी मूल्यों को न्यूनतम आर्थिक स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा ।

दलहन और तिलहन का उत्पादन

3322. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 में दलहन और तिलहन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमान्त कृषकों को इनके उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कोई कारगर योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1992-93 के दौरान तिलहन तथा दलहनों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमश: 190 तथा 145 लाख मीटरी टन है ।

(ख) और (ग) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 21 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है । एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 24 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रमाणीकृत बीजों, पौध संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों का वितरण, उन्नत फार्म उपकरण, छिड़काव सेटों का वितरण तथा रिझोबियम कल्चर जैसी मदों के लिए छोटे और सीमान्त किसानों सहित, किसानों को सहायता प्रदान की जाती है । दलहन के लिए भी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, दलहन है, जो कि चना तथा अरहर के पौध संरक्षण उपायों के लिए सहायता और ग्रीष्म दलहन